कार्यालय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना।

निविदा

वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत् आधुनिक मेकेनाइज्ड यंत्र से साफ–सफाई (24X7), विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ध्वनि रहित जेनरेटर, वाशिंग मशीन द्वारा कपड़ों की धुलाई, अंतः कक्ष रोगियों को पथ्य (भोजन) की आपूर्ति, बाहरी परिसर की साफ–सफाई, बागवानी, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रिसेप्शनिस्ट की व्यवस्था लोक निजी साझेदारी के तहत किया जाना है। प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मों/गैर सरकारी संस्थानों/प्रतिष्ठानों/संवेदकों को Empanelled करने हेतु मुहरबंद निविदा प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग–अलग आमंत्रित की जाती है। निविदा के संबंध मे विस्तृत विवरणी लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय अवधि के दौरान प्राप्त किया जा सकता है, या वेबसाइट http://lnjporthohospital.org पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा निदेशक,लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना के पता पर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन (निविदा प्रकाशन की तिथि सहित सभी दिन मिलाकर) अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकार की जायेगी। निविदा 22वें दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना द्वारा गठित दर निर्धारण समिति/चयन समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी कक्ष में खोली जाएगी, यदि 22वें दिन अवकाश होगी तो निविदा अगले दिन खोली जायेगी। निविदादाता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते है अन्यथा उनकी अनुपस्थिति में भी निविदा खोली जा सकती है।

27/12/18

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर पटना

(क) अस्पताल परिसर स्थित कार्यालय सहित अस्पताल के अंतः कक्ष की साफ–सफाई का प्रतिवर्ग मीटर प्रतिदिन की दर अंकित करना होगा जिसकी कार्यों की विवरणी निम्नलिखित है :–

(01) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल परिसर स्थित कार्यालय सहित अस्पताल के अंतः कक्ष की सभी कमरे, वार्ड, बरामदा, शौचालय, ओ0टी0, स्नानघर, पैथोलॉजी रूम इत्यादि की सतह एवं दीवार में लगी टाईल्स की साफ–सफाई का कार्य करना होगा।

(02) आंतरिक परिसर की सफाई हेतु मशीन (वैक्यूम क्लीनर, स्क्रबर ड्रायर, वाटर प्रेशर मशीन एवं मॉप का इस्तेमाल करना होगा।

(03) सफाई का काम अनवरत 24 घंटा चलता रहेगा।

(04) इसके लिए प्रतिदिन सफाई कार्य में प्रयुक्त होनेवाली सामग्री जैसे फ्लोर क्लीनर, फिनाईल, ग्लास क्लीनर, मासकिटो कॉकरोच स्प्रे, सभी शौचालयों में नेप्थलीन की गोली, बाल्टी एवं मग तथा प्रत्येक कमरे में रूम फ्रेशनर इत्यादि उपलब्ध कराना होगा।

(05) सफाई के लिए बैट्री चालित प्रदुषण रहित उपकरण लगाना होगा।

(ख) वाशिंग मशीन द्वारा कपड़ों की धुलाई का प्रतिमाह का दर अंकित करना होगा, जिसकी कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :–

(01) प्रत्येक बेड के बेडसीट, तकिया कवर, चादर, कम्बल, पर्दा आदि धोना एवं आयरन करना।

(02) ऑपरेशन थियेटर के कपड़ों की धुलाई प्रत्येक ऑपरेशन के बाद करना होगा।

(03) कपड़ों की सफाई हेतु अस्पताल परिसर में वाशिंग मशीन स्थापित कर बैक्टीरिया रहित सामग्री प्रयुक्त करते हुए धुलाई कार्य करना होगा।

(04) बिजली का भुगतान संवेदक को करना होगा।

(ग) अस्पताल का रख–रखाव तथा परिसर की साफ–सफाई/ रख–रखाव/ बागवानी का प्रतिमाह का दर अंकित करना होगा जिसकी कार्यों की विवरणी निम्नलिखित है :–

(01) सभी फर्निचर, उपकरण, लाईट, पंखे, खिड़कियाँ के किनारे लगे ग्रील, दरवाजे के अंदर व बाहर भवनों की सिलिंग, दिवाल एवं अन्य जगहों में लगी झोल, धुल को अच्छी तरह से सफाई करना होगा।

(02) प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थियेटर के सामानों का डिस्पोजल निर्धारित स्थान पर करना होगा।

(03) परिसर की सफाई करने सहित मरीजों के मल–मूत्र, अवशिष्ट पदार्थो, रक्त की सफाई एवं गंदे कपड़ों को जमा कर निर्धारित स्थान पर फेंकना तथा चूना, गेमेक्सीन, ब्लीचींग पाउडर का छिड़काव कराना होगा।

(04) अस्पताल के लिए 16 (4 अलग–अलग रंग का) डस्टबीन जिसका आकार 04 फीट का हो, रखना होगा।

(05) कचड़े को फेंकने के लिए ट्रॉली/गाड़ी/पॉलिथिन की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी।

(06) भवन के छत–छज्जा पर जल जमाव को दूर करना एवं भवन पर उगे पौधों को उखाड़ कर सफाई करने सहित परिसर में जंगली घासों को काटना एवं ग्रास कटर मशीन से घास की कटाई कर सुसज्जित करना।

(07) गर्मी, बरसात एवं सर्दी के मौसम में कम–से–कम दस प्रकार के मौसमी फूल–पौधों की व्यवस्था कर क्यारी एवं गमला में लगाकर एक सुन्दर बगीचा तथा हर्बल बगीचा विकसित करना होगा।

(08) अस्पताल के लिये 50 गमले (पौधा, मिट्टी एवं खाद सहित) की व्यवस्था करना एवं गमलों तथा परिसर में लगे पेड़ों को वर्ष में तीन बार रंगाई–पोताई करना होगा।

(घ) स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–648 (10) दिनांक 07.09.15 के द्वारा सरकारी अस्पताल में पथ्य (फुल डायट नार्मल **Energy-2450 kcal/protein-36gm**) की अधिकत्तम दर पर 100 रू0 प्रति रोगी प्रतिदिन निर्धारित किया गया है के आलोक में रोगियों के लिए भोजन (पथ्य) का प्रतिदिन प्रति रोगी का दर अंकित करना होगा एवं अंतः कक्ष रोगियों को निम्न मीनू के आधार पर भोजन/नास्ता (पथ्य) उपलब्ध कराना होगा।

सुबह में	पावरोटी 04, अंडा 01, दूध 200ml, फल जैसे– केला 02 पीस अथवा सेब 50 ग्राम
दोपहर में	रोटी 02 पीस एवं चावल 125 ग्राम, दाल 50 ग्राम, सब्जी 100 ग्राम, सलाद 50 ग्राम
शाम में	ग्लूकोज बिस्कूट 02 पीस, चाय 01 कप
रात्रि में	रोटी 04 पीस, दाल 50 ग्राम एवं सब्जी 100 ग्राम, सलाद 50 ग्राम

डायटीशियन इस संबंध में समय–समय पर जाँच करेंगी।

(ङ) **साईलेंट जेनरेटर (डी0 जी0 सेट) 100 KVA का प्रतिमाह के आधार पर दर अंकित करना होगा, जिसकी कार्यो की विवरणी निम्नलिखित है :–**

(01) जेनरेटर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए।

(02) जेनरेटर द्वारा आवश्कतानुसार बिजली आपूर्ति 24 घंटे उपलब्ध रहनी चाहिए।

(03) प्रत्येक प्वाईंट पर 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक की विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए।

(04) जेनरेटर का कनेक्शन अस्पताल भवन, चिकित्सक कर्त्तव्य कक्ष एवं अस्पताल परिसर में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी कर्मचारी/पदाधिकारी के आवास में जेनरेटर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

(05) साइलेंट जेनरेटर डी0 जी0 सेट खराब होने की स्थिति में कार्य की अनिवार्यता को देखते हुए तुरंत कोई भी जेनरेटर उपलब्ध कराना होगा। यदि 72 घंटे में संबंधित जेनरेटर नहीं बनायी जाती है तो रू0 1000/– प्रतिदिन के दर से दंड के रूप में संस्था से प्राप्त विपत्र में अंकित राशि में से कटौती की जायेगी।

(च) **प्लम्बर :– संस्थान के लिए सह समरसेबल ऑपरेटर की आवश्यकता है।**

रिसेप्सनिष्टः– संस्थान में दो रिसेप्सनिष्ट की आवश्यकता है। जो अस्पताल में आए मरीजों एवं परिजनों को सही जानकारी उपलब्ध कराये।

इलेक्ट्रिशियनः– संस्थान में बिजली मिस्त्री की आवश्यकता है।

निविदादाता को निम्न दस्तावेज / ड्राफ्ट आदि समर्पित करना होगा :–

1. निविदादाता को कंपनी / गैर सरकारी संगठन / साझेदारी फर्म / प्रतिष्ठान को सुसंगत कानून के अधीन निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
2. निविदा देने वाले संस्था का किसी सरकारी संस्था के साथ कम से कम 3 वर्ष (पंजीकरण के बाद) का स्वास्थ्य / अन्य सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण–पत्र की छाया प्रति देना अनिवार्य है एवं सिविल सर्जन / संबंधित संस्था के जिला स्तरीय वरीष्ठ पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता को समान प्रकृति (आधुनिक मेकेनाइज्ड यंत्रों द्वारा साफ–सफाई, वाशिंग मशीन द्वारा कपड़ों की धुलाई दोनों कार्यों में विगत एक वर्ष का संतोषजनक भुगतान कंडिका '2' के स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. आयकर स्थायी लेखा संख्या एवं विगत तीन वर्ष का रिर्टन की छाया प्रति देना अनिवार्य होगा।
5. GST के तहत निबंधन होना चाहिए (निविदा के पूर्व का होना चाहिए) एवं 50 (पचास) हजार रू0 GST जमा करने संबंधी चालान की प्रति ।
6. 100 श्रमिकों का श्रमिक अनुज्ञप्ति संलग्न करना आवश्यक है।
7. ESIC एवं EPF में निबंधन होना चाहिए (निविदा के पूर्व का होना चाहिए) एवं कर्मी का ESIC एवं EPF में निबंधन की सूची एवं चलान के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. विगत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओभर 01(एक) करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, साक्ष्य स्वरूप Balance Sheet संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. संस्था को विगत तीन वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।
10. कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर इस आशय का शपथ–पत्र कि निविदादाता को किसी कार्यालय द्वारा काली सूची में कभी दर्ज नहीं किया गया है तथा निविदादाता को किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित नहीं किया गया हो और कोई भी वाद निविदादाता पर लंबित नहीं है,
11. अग्रधन के रूप में 2,00,000/– (दो लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना के नाम भुगतेय हो संलग्न करें।
12. निविदादाता को अद्यतन आवासीय एवं चरित्र प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
13. खाद्य अनुज्ञप्ति अद्यतन प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
14. निविदादाता के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 2 लाख रूपये का Bank Solvency संबंधी सक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. ISO के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था को प्राथमिकता दिया जायेगा।
16. निविदादाता के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 2 लाख रूपये का Bank Solvency संबंधी साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. Certificate of OHSAS18001:2007 के तहत निबंधित होना चाहिए (निविदा के पूर्व का होना चाहिए)।

(01) अस्पतालों की आंतरिक साफ–सफाई, कपड़ों की धुलाई, परिसर की साफ–सफाई/रख–रखाव/ बागवानी, मरीजों का भोजन (पथ्य) सहित जेनरेटर द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु सामाग्रियों, सभी खर्च एवं सभी कर सहित दर :–

	आंतरिक साफ–सफाई प्रतिवर्ग मीटर प्रतिदिन का दर	वाशिंग मशीन द्वारा कपड़ों की धुलाई प्रतिमाह का दर		परिसर की साफ–सफाई/ रख–रखाव/ बागवानी प्रतिमाह का दर	मरीजों हेतु भोजन (पथ्य) प्रति रोगी प्रतिदिन का दर	100 के.वी. ए. साइलेंट जेनरेटर का प्रतिदिन का दर	पलम्बर–01, बिजली मिस्त्री–01, रिसेप्शनिष्ट–02 (महिला–01 पुरूष–01)
		बड़ा	छोटा				
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना							

कार्यो का ब्यौरा

ग्रुप –1

(1.) लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना के साफ–सफाई, रख रखाव एवं बागवानी :

1. अस्पताल से निकलने वाले सभी प्रकार के कचरों को नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थल पर संस्था द्वारा निष्पादन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अस्पताल से निकलने वाले कचरे को अस्पताल परिसर या इर्द–गिर्द निष्पादन नहीं किया जायेगा।
2. लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना की साफ–सफाई कार्य मे सभी कमरें का फर्श एवं दीवार / वार्ड / बरामदा / शौचालय / दीवार के किनारे लगे टाईल्स, मकड़े का जाल एवं पंखे की सफाई भी शामिल है। इसके अलावा संबंधित इकाई के प्रबंधक / उच्च अधिकारी द्वारा निदेशित सफाई कार्य भी करना होगा।
3. ओ0टी0 / पैथोलॉजी / एक्स–रे रूम का सफाई भी शामिल है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना के परिसर, परिसर में रखे डस्टबीन एवं नालों की पूरी सफाई करना एवं गंदा सामानों को निर्धारित स्थानों पर फेकना एवं फूल–पौधों का रख–रखाव करना है।
4. सफाई का काम अनवरत 24 घंटा चलता रहेगा। इसके लिए 3 शिफ्टों के लिए अलग–अलग सफाई कर्मी रखना अनिवार्य होगा। आंतरिक परिसर की साफ–सफाई का कार्य मे वैक्यूम क्लीनर, स्क्रवर, वाटर प्रेशर मशीन, आदि का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सफाई कार्य मे प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण एवं सामग्री (जैसे–Duster Cloth, Toilet Freshner, Toilet Brush, Nepthaline Ball, फ्लोर क्लीनर, काला फिनाईल, ग्लास क्लीनर, मॉस्क्रीटो स्प्रे, कॉक्रोच स्प्रे, Dettol / Lifebuoy Liquid Hand Wash, O.T, Emr. Room, Labour Room, OPD, Blood Bank, SNCU के लिए आदि अन्य सफाई में प्रयुक्त होने वाले सामग्री) एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिस पर होने वाला व्यय वित्तीय निविदा में दर में सम्मिलित होना चाहिए।
5. साफ–सफाई मे प्रयुक्त होने वाले सभी मशीन नई होनी चाहिए, जिसके क्रय के लिये संस्था को 15 दिनो का समय दिया जा सकता है तथा भौतिक सत्यापन के बाद ही एकरारनामा किया जायेगा।
6. प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ओ0टी0, प्रत्येक प्रसव के बाद प्रसव कक्ष के समानों का डिस्पोजल निर्धारित स्थानों पर करना होगा।
7. मरीजों को ट्रॉली से पहुँचाना, बेड पैन एवं यूरनल पॉट लगाना। मरीजों के मल–मुत्र अवशिष्ट पदार्थों, रक्त की सफाई एवं गंदे कपड़ों को जमा कर निर्धारित स्थान पर पहुँचाना।
8. मौसम अनुसार फूल एवं पौधे को लगाना अनिवार्य है।

(2) कपड़ा धुलाई :–

1. प्रत्येक बेड शीट / तकिया कभर / चादर आदि रोजाना धोना एवं आयरन करना होगा।
2. सभी कपड़ों की धुलाई का प्रतिमाह का दर देंगे, जिसमें धुलाई का कपड़ा (जैसे : गाउन / एडवोमिनल सीट / चादर / मच्छरदानी / कम्बल / परदा / ऑपरेशन तौलिया बड़ा / तौलिया छोटा / टेबुल क्लौथ बड़ा / टेबुल क्लौथ छोटा / तकिया कभर, बड़े एवं छोटे कपड़े आदि) होगा।
3. संस्थान मे कॉमर्शियल / सामान्य वाशिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है परंतु संस्थान मे 01 से अधिक वाशिंग मशीन रखना अनिवार्य होगा।
4. उपरोक्त सामानो का धुलाई का दर (धोने के सामग्री सहित) एक मुश्त मासिक देना होगा।

27/12

(3) खानपान

1. अंतः कक्ष रोगियों हेतु पथ्य (भोजन) आपूर्ति करना बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग के संकल्प 648(10) दिनांक 07.09.15 के अनुसार)
2. मरीजों को दोपहर तथा रात का खाना ऐसी ट्रॉली से वितरित करना होगा, जिसमें खाना गर्म रहे।
3. मरीजों को पथ्य Disposable बर्तन (प्लेट एवं ग्लास) में देना होगा।

पथ्य (भोजन) के लिए दर प्रति मरीज प्रतिदिन की दर से निविदा आमंत्रित है।

कार्यों का ब्योरा

ग्रुप–2

जेनरेटर सेवा (साईलेंट जेनरेटर) :–

1. संस्थान में ध्वनि रहित जेनरेटर होना अनिवार्य है। जेनरेटर हेतु तेल/मोबिल/ऑपरेटर/मेन स्वीच तक तार द्वारा पहुँचाने एवं रख–रखाव संस्था के जिम्मे होगा। अस्पताल में विद्युत्त आपूर्ति की क्षमता में वृद्धि अथवा कमी निदेशक स्तर से लिया जा सकता है।
2. बिजली बाधित रहने की स्थिति मे 24 घंटे जेनरेटर सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
3. संस्थान के सभी भागों मे बिजली आपूर्ति करनी है। आपातकालीन स्थिति में संस्था द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विद्युत्त आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

अन्य शर्त्तें :–

1. सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति स्व अभिप्रमाणित तथा मुहर के साथ होनी चाहिए।
2. उपरोक्त सभी कार्यों के लिए सामग्रियों एवं व्यक्तियों की आपूर्ति संस्था को स्वयं खर्च पर करनी होगी।
3. चयनित एजेंसी को सफाई कर्मियों/जेनरेटर टेकनिशियन/खान–पान सहायक को पहचान पत्र, एक समान ब्लू नीला ड्रेस, कर्मी का नेमप्लेट, टोपी, बैग उपलब्ध कराना होगा, जिस पर संबंधित एजेंसी का नाम, कर्मी का नाम एवं संबंधित अस्पताल का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड के बिना कर्मी को कार्य से अनुपस्थित माना जायेगा एवं नियमानुकूल विपत्र से कटौती की जायेगी।
4. भुगतान के समय नियमानुसार GST एवं सरकार द्वारा घोषित अन्य कर की कटौती की जाएगी।
5. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोला जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रस्तुत कागजातों की जाँच कराई जायेगी। जाँच के क्रम मे त्रुटी पाये जाने पर संस्था का दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपने श्रमिकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक अद्यतन Minimum Wage Act के अनुसार देय होगा।
7. यदि सरकार द्वारा दिशा–निर्देश में कोई परिवर्तन लाया जाता है तो गठित समिति को अधिकार होगा कि वह अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन कर सके या निरस्त कर सके।

8. उपरोक्त तालिका मे वर्णित कुशल / अर्द्ध कुशल /अकुशल श्रमिक सभी वार्ड मे निर्धारित ड्रेस कोड मे श्रमिक कार्य करेंगे, जिसकी उपस्थिति संबंधित इकाई के प्रबंधकों के पास संधारित होगा।
9. निविदादाता को वर्तमान मे श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर गणना कर दर अंकित करना होगा। उक्त गणना से कम राशि अंकित करने पर निविदा को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यह मान्य नही होगा कि दर निर्धारण के समय न्यूनतम मजदूरी से कम का दर अंकित करते हुए संस्था कहती है कि मै अपने खर्च से कार्यों का संपादन एकरारनामा के अनुरूप करूँगा।
10. उक्त सभी सेवाओं के लिए एकरारनामा तीन वर्ष के लिए की जाएगी एवं संतोषप्रद कार्य रहने पर गठित समिति द्वारा अवधि विस्तार संबंधी निर्णय लिया जा सकता है।
11. एकरारनामा का प्रारूप निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना द्वारा निर्धारित की जाएगी। एकरारनामा उपरांत ही चयनित संस्था को कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. विशेष जानकारी के लिए कार्यावधि मे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
13. खान–पान (पथ्य) वाले एजेंसी किसी अन्य कार्यों में निविदा में शामिल नहीं किया जायेगा।
14. मरीजों को उपलब्ध कराये जाने संबंधित भोजन (पथ्य) में गुणवत्ता, महत्ता एवं अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के संकल्प संख्या 648(10) दिनांक 07.09.2015 के द्वारा निर्धारित दर चयनित संस्था को एकमुश्त देय होगा। तकनिकी निविदा में सफल संस्थाओं के बीच लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

27/12/18

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।

नोट :– तकनीकी तथा वित्तीय निविदाएँ अलग–अलग लिफाफे मे देना है तथा लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों मे तकनीकी अथवा वित्तीय उल्लेखित होना अनिवार्य है। तकनीकी तथा वित्तीय निविदा को एक मुहरबंद लिफाफे मे बंद कर उस पर सेवा नाम जिसके लिए निविदा जमा की जा रही है तथा संस्था का मोबाईल नं0 एवं ई–मेल आई0डी0 का उल्लेख अनिवार्य होगा। सेवा का नाम उल्लेखित नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा निदेशक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना के पता पर निविदा प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन (निविदा प्रकाशन की तिथि सहित सभी दिन मिलाकर) अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा स्वीकार की जायेगी। निविदा 22वें दिन पूर्वाह्न 11:00 बजे निदेशक द्वारा गठित दर निर्धारण समिति/चयन समिति के समक्ष निदेशक के कक्ष में खोली जाएगी, यदि 22वें दिन अवकाश होगी तो निविदा अगले दिन खोली जायेगी।

निदेशक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना बिना कारण बताये निविदा को पूर्णतः या अशतः निरस्त कर सकती है। विशेष परिस्थिति में निविदा की शर्तें शिथिल की जा सकती है।

27/12/18

निदेशक,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल,
राजवंशीनगर, पटना।